बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
मध्याह्न भोजन योजना

दिनांक 22.05.2012 को बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के राज्य स्तरीय बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

बैठक की कार्यवाहीः–

दिनांक 22.05.2012 को सूचना भवन के संवाद कक्ष में बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति का राज्य स्तरीय बैठक सम्पन्न हुआ, जिसमें राज्य के जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा की गई।

1. डी० सी० से संबंधित महत्वपूर्ण 13 विपत्रों की समीक्षा की गई है।

2. महालेखाकार कार्यालय में डी०सी० विपत्रों पर की गई आपत्ति का निराकरण अब तक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कुल 18 जिलों द्वारा किया जा चुका है जिसमें 6 जिलों का अब तक कार्य समाप्त नहीं हुआ है। जैसे–जमुई, सहरसा, सुपौल, वैशाली, दरभंगा एवं मधुबनी। इन जिलो को दिनांक 30.05.2012 तक ए.जी. कार्यालय में डी०सी० विपत्रों पर की गई आपत्ति के निराकरण करने हेतू निदेशित किया गया। महालेखाकार कार्यालय में आपत्ति के निराकरण में कई विपत्र नहीं मिलने की स्थिति में डी०सी० विपत्रों का समायोजन करना संभव नहीं है। साथ ही महालेखाकार कार्यालय द्वारा खोये हुए विपत्रो के संबधं में संबंधित जिला प्रभारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा महालेखाकार कार्यालय को पत्राचार करने एवं उसकी प्रतिलिपि निदेशालय को उपलब्ध कराने हेतू निदेशित किया गया।

3. महालेखाकार कार्यालय के अनुसार शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय द्वारा डी०सी० विपत्रो को जमा कराने में सराहनीय भुमिका को संतोषप्रद बताया गया है। सभी जिला प्रभारियों को महालेखाकार कार्यालय में त्रुटि के निराकरण हेतु डी०सी० बिल का Verification करा लेने हेतु निदेशित किया गया।

4. ए०सी० डी०सी0 बिल के महत्त्वपूर्ण 13 विपत्रों पर सभी जिलो को एक निश्चित कार्यक्रम बनाये जाने के लिये निदेश दिये गये जो जल्द ही सूचित किया गया। कार्यक्रम के अनुसार सभी जिला डी०सी० विपत्र महालेखाकार कार्यालय में जमा करेगें। इस कार्य को यथाशीध्र करने हेतु सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को निदेश दिया गया।

5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं पंजाब नेशनल बैक के Bankers के साथ विद्यालयों में राशि हस्तान्तरण के संबंध में आ रही समस्याओं की समीक्षा की गयी। जिसमें अधिकांश जिलों में पाया गया कि बैंक द्वारा विद्यालयों में राशि हस्तानान्तरण करने में विलम्ब किया जाता है जिस कारण राशि के अभाव में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना बाधित रहती है। प्रभारियों द्वारा बताया गया

कि अपने–अपने जिले की स्थिति स्पष्ट की गई यथा पटना द्वारा RTGS के माध्यम से विद्यालयों मे राशि स्थानान्तरण 2 से 3 दिनों, नालन्दा में 1 सप्ताह, भोजपुर में 2 से 3 दिनों, बक्सर में 1 माह, रोहतास 20 से 25 दिन, गया में 25 से 30 दिन, जहानाबाद 2 दिन, सितामढ़ी 4 दिन, औरंगाबाद 10 दिन, समस्तीपुर 4 से 5 दिन, जमुई, लखीसराय, मुंगेर में 15 से 20 दिनों में, सहरसा 20 से 25 दिन, सुपौल 1 से 2 महीना, नवादा 10 से 15 दिन, सारण 1 से डेढ़ माह, गोपालगंज 1 माह, मुजफ्फरपुर दो प्रखंडों में 10 दिन, वैशाली 3 दिन, मधुबनी 1 सप्ताह, कटिहार 20 से 25 दिन, बेगूसराय 15 से 20 दिन, बांका में 2 से 3 दिन, मधेपुरा 1 महीना, भागलपुर 3 से 4 दिन, शिवहर एवं प० चम्पारण 10 से 15 दिन, पूर्वी चम्पारण में 4 से 5 महीना, अररिया में 25 से 30 दिन खगड़िया 1 दिन, किशनगंज में 10 से 15 दिन, पूर्णियाँ में 2 से 3 माह एवं सिवान में 10–15 दिनों का समय बैंकों द्वारा लिये जाने की बात सामने आई। इस संबंध में वर्तमान में जिन बैंकों का कार्य मई और जून माह की राशि हस्तान्तरण में संतोषजनक नहीं पाया जाएगा उनके विरूद्ध मध्याह्न भोजन योजना प्रभारियों को निदेशालय को प्रतिवेदित करने हेतु निदेशित किया गया। बैंकर्स द्वारा उपरोक्त समस्याओं से निराकरण हेतु कुछ सुझाव दिया गया।

veiwing right हेतु मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी, मुजफ्फरपुर द्वारा एक सुझाव रखा गया जिसके संबंध में निदेशक महोदय द्वारा बैंकर्स को सभी जिला के प्रभारियों को veiwing right देने की सहमति दी गई। साथ ही SBI में अन्य बैंक के विद्यालयों की अलग अलग CD तथा हार्ड कॉपी देने हेतु सुझाव दिया गया है जिससे बैंको को यथाशीघ्र राशि स्थानान्तरण में असुविधा न हो।

6. कई जिलों में निदेशानुसार एक ही बैंक में मध्याह्न भोजन योजना की राशि न रखकर अन्य दो या तीन बैंकों में राशि रखने की बात सामने आई है। इस संबंध में निदेशक महोदय द्वारा कड़ी आपत्ति जाहिर की गई। साथ ही स्पष्ट किया गया कि पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में निदेशित प्रत्येक जिले में एक ही बैंक में मध्याह्न भोजन योजना की राशि रखी जा जाए एवं अन्य बैंकों के खाते को अविलम्ब बंद किया जाए।

7. निदेशक महोदय द्वारा IVRS (दोपहर) की समीक्षा की गई जिसमें गया, भभुआ, लखीसराय एवं किशनगंज द्वारा इस संबंध में कम प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया प्रखंड स्तर पर किन विद्यालयों द्वारा IVRS (दोपहर) के प्रश्नों के उत्तर (आंकड़े) नहीं दिये जा रहे हैं। इसकी सूचना जिला स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना, प्रभारी पदाधिकारी को अवश्य होनी चाहिए। अबतक सभी जिले से लगभग 57000 विद्यालयों के आंकड़े IVRS (दोपहर) में प्रविष्टि किये गये हैं। इस संबंध में आंकड़ों के संघारण से संबंधित कार्य के निष्पादन हेतु डाटा इंट्री ऑपरेटर के माध्यम से करवाने हेतु 10 से 20 हजार तक की राशि प्रत्येक जिले को व्यय करने के लिये निदेश दिया गया। साथ ही निश्चित समय के अन्दर जिले के सभी विद्यालयों के IVRS (दोपहर) सूचनाओं को प्रविष्टि करने हेतु निदेशित किया गया।

8. MIS द्वारा मध्याह्न भोजन योजना का अनुश्रवण प्रत्येक माह किया जाता है परन्तु IVRS (दोपहर) द्वारा योजना का प्रतिदिन अनुश्रवण किया जा सकता है। अतः यह प्रणाली योजना के

अनुश्रवण के लिये अतिमहत्त्वपूर्ण है। अतः इस प्रणाली के क्रियान्वयन में प्रखंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को कुछ जिम्मेदारियां दी गई :–

(i) जिला स्तर पर जिले के सभी प्रधानाध्यापक/वरीय शिक्षक/अध्यक्ष/सदस्य सचिव, तदर्थ समिति का मोबाईल नं० को Edit करने हेतु जिले को authority दी गई।

(ii) प्रखंड स्तर पर प्रखंड साधन सेवी के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/वरीय शिक्षक/अध्यक्ष/सदस्य सचिव, तदर्थ समिति का मोबाईल नं० की प्रविष्टि का कार्य करने हेतु निदेशित किया गया, इसके लिए सभी प्रखंड साधन सेवी को Login ID दिये इस सप्ताह के अन्त तक दिये जायेंगे।

(iii) IVRS (दोपहर) के सेवा प्रदाता श्री हेमन्त पुरोहित को प्रखंडवार जिन विद्यालयों की आंकड़े IVRS (दोपहर) इस प्रणाली में प्रविष्टि नहीं कि गई है उनकी सूची प्रविष्टि हेतु सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को निदेशित किया गया।

(iv) किस जिले में कितने विद्यालयों का IVRS (दोपहर) संबंधित आंकड़े प्रविष्ट किये जा चुके हैं इसे Veiw करने हेतु निदेशालय स्तर के पदाधिकारियों, जिला स्तर पर जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, प्रखंड स्तर पर प्रखंड साधन सेवी को अधिकार दिया जाएगा। इस संबंध में सभी को Login ID इस सप्ताह के अन्त तक दिये जाने का निदेश दिया गया।

(v) सभी विद्यालयों में IVRS को डाटा लेने के लिए दो सप्ताह का समय निश्चित किया गया। IVRS (दोपहर) में आ रही समस्याओं को दूर करने हेतु सेवा प्रदाता को निदेशित किया गया।

9. सेवा यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति कम रहने के कारणों की जानकारी सभी जिला पदाधिकारी से पूछा जा रहा है। इस संबंध में कुछ कारण यह है कि विद्यालयों में प्राइवेट स्कूल के बच्चों का नामांकन दिखाया जा रहा है। अपने–अपने जिला पदाधिकारी से इस पर विचार करने हेतु सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी को निदेशित किया गया।

10. खाद्यान्न आवंटन संबंधित उठाव एवं वितरण प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में निदेशालय को उपलब्ध कराने हेतू निदेशित किया गया। सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को निदेशित किया गया कि खाद्यान्न का ऑन लाईन प्रविष्टि के आधार पर ही विद्यालयों को खाद्यान्न का उपावंटन किया जाए। ऑन लाईन एडभाईस के अनुसार ही खाद्यान्न एवं राशि विद्यालयों को दी जाए।

11. सारण, गोपालगंज, नवादा, सीतामढ़ी एवं गया के प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा राज्य खाद्य निगम से चावल नहीं मिलने की शिकायत की गई। इस संबंध में निदेशक महोदय द्वारा राज्य खाद्य निगम से वार्ता करने एवं समस्या का समाधान करने हेतु आश्वस्त किया गया।

12. कई जिले द्वारा वर्त्तन नहीं रहने की समस्या को रखा गया। इस संबंध में विद्यालयों के प्रभारियों के खाद्यान्न का बोरा बेचकर बर्त्तन खरीदने का निदेश दिया गया।

13. जिला कार्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी के बीच आपसी संबंध बनाकर काम करने हेतु निदेश दिया गया ताकि मध्याह्न भोजन योजना का कार्य सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके।

14. वैशाली जिला के प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा प्रखंड साधन सेवी के स्थानान्तरण में स्पष्ट मार्गदर्शन की मांग की गई। इस संबंध में निदेश दिया गया कि प्रखंड साधन सेवी के स्थानान्तरण करने में मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी सक्षम हैं। इसपर जिला शिक्षा पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी नहीं है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(राहुल सिंह)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 636 / पटना, दिनांक 31/5/12

प्रतिलिपि :–(1) प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
(3) सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
(4) भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
(5) सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
(6) सभी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना (मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31.5.12

(राहुल सिंह)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।